

प्रेस नोट दिनांक 11.04.2021

(1). दिनांक 10.04.2021 की रात्रि में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चित्रकूट श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा थाना पहाड़ी अन्तर्गत ग्राम असोह एवं पचोखर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनचौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया।

जिलाधिकारी महोदय ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर आश्वस्त करते हुए ग्रामीण को कहा, कि पारदर्शी और निष्पक्षता से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को मतदान करने से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग संपन्न कराने में अपना सहयोग करें, उन्होंने कहा कि यदि कोई दबंग मतदान करने के लिए धमकाता है या प्रलोभन देता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम या प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचित करें। उन्होंने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कहा कि वह किसी प्रकार से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। उन्होंने संभावित उम्मीदवारों और समर्थकों को आह्वान किया कि मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किए उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सभी को करा लेना चाहिए जो 45 साल के उम्र के हो चुके हैं यह वैक्सीनेशन 45 साल के उम्र के व्यक्तियों को लगाया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश निर्देश देते हुए कहा कि मतदान केंद्रों में पानी शौचालय बिजली की समुचित व्यवस्था करा ले।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने ग्रामीणों से कहा कि चुनाव में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान को प्रभावित करने वाले लोगों को चिन्हित करने में अपना सहयोग करें उन्होंने कहा कि हर मतदान केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि किसी बाहरी व्यक्तियों को चुनाव में न बुलाए उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में ऐसे मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी के प्रलोभन में या दबाव में आकर वोट न दें, सभी लोग भयमुक्त होकर वोट करें।

इस अवसर उपजिलाअधिकारी सदर श्री रामप्रकाश , क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी अवधेश कुमार मिश्रा , पीआरओ श्री दिनेश सिंह, अन्य अधिकारी कर्मचारीगण तथा ग्रामीण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरूकता एवं चैकिंग अभियान में दिनांक 10.04.2021 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना मानिकपुर में 06 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी चुनाव के दृष्टिगत रखते हुये अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 82 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(क). प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा अभियुक्त 1. संजय पुत्र बाबू निवासी बछरन 2. चुनकावन पुत्र शिवधनी निवासी कादरगंज 3. मोहन पुत्र रामराज निवासी सिकरीसानी 4. चुनकावन पुत्र शिवधनी 5. श्रीराम पुत्र

महावीर 6. नत्थू पुत्र मुकुट नामदेव निवासीगण रेहुटा 7. बल्लू उर्फ जागेश्वर 8. सुरेश पुत्र रामभवन यादव निवासीगण बारामाफी 9. भगवत पुत्र चुन्नु निवासी परसौजा 10. जानकी और जानकीशरण पुत्र रामधनी यादव निवासी बशहर 11. राजकुमार पुत्र रामध्वज निवासी गढ़ीघाट 12. आलोक उर्फ गोलू पुत्र मोहन लाल निवासी तौरा 13. मनका 14. भवनसर पुत्रगण कल्लू निवासीगण पिलखिनी 15. राम अभिलाष पुत्र बाबूलाल निवासी भानपुर 16. रमाकांत 17. रामानुज पुत्रगण राधेश्याम 18. विकास पुत्र रामप्रताप 19. संजय पुत्र सत्यनारायण 20. गंगा पांडे पुत्र हीरा निवासीगण सकरौली 21. पुल्लू उर्फ धर्मराज पुत्र सूरज यादव 22. संतोष पुत्र बुसुआ उर्फ पीतांबर 23. श्यामसुंदर पुत्रगण जगन यादव निवासीगण असोह 24. मूलचंद पुत्र शिवकुमार 25. कौशल किशोर पुत्र शिवकुमार निवासीगण खरसेडा 26. कमल उर्फ छुट्टन पुत्र मत्तौसिंह 27. बच्चू 28. मोनू चौबे पुत्रगण कालीदत्त निवासीगण खरसेंड़ा 29. दीपक पुत्र कमलेश 30. कीरत पुत्र चुनकू निवासीगण असोहा 31. रवि पुत्र गौतम 32. गंगा पुत्र रामकरण निवासीगण थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(ख). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचंद्र चौरसिया द्वारा अभियुक्त 1. दिलीप पुत्र राधा मोहन निवासी गर्गन पुरवा 2. राजा पुत्र रामनाथ यादव निवासी ग्राम गर्गनपुरवा 3. कल्लू चौबे पुत्र जगदीश 4. राकेश पुत्र बम्भन 5. गंगा कचेर उर्फ रामानुज पुत्र जित्तल 6. सुरेश पुत्र पवन निवासीगण सैरैया 7. गिरिजाशरण पुत्र श्यामनारायण निवासी गर्गनपुरवा 8. शारदा प्रसाद पुत्र कामता निवासी बिलौहा का पुरवा 09. राकेश पुत्र रामदीन निवासी सैरैया 10. जुगल किशोर पुत्र बाबू त्रिपाठी निवासी सैरैया के विरुद्ध धारा 110 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(ग). प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेंद्र त्रिपाठी द्वारा अभियुक्त 1. राममिलन पुत्र देवी दयाल निवासी लक्ष्मणपुरी 2. देवराज पुत्र मेवालाल निवासी कालूपुर पाही 3. मोनू उर्फ अवनीश तिवारी पुत्र सतीश प्रदीप 4. प्रदीप कनोजिया उर्फ रज्जू पुत्र संतोष निवासीगण शंकर बाजार 5. कुलदीप पुत्र पप्पू 6. अमित पुत्र रामनाथ 7. ऋषभ पुत्र प्रपन्ना निवासीगण सीतापुर 8. छोटू उर्फ कृष्णपाल पुत्र रामचरण यादव 9. संजय उर्फ सिद्धार्थ पुत्र सुरेश कुशवाहा 10. संजय यादव पुत्र राजेश निवासीगण वानतालाब 11. विजय केवट पुत्र गिरधारी निवासी डिलौरा 12. अनिल पुत्र रामनाथ निवासी गोकुलपुरी 13. छक्की लाल पुत्र बबलू निवासी भैरोपागा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(घ). प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशीलचंद्र शर्मा द्वारा अभियुक्त 1. दयाचंद्र यादव पुत्र नत्थू निवासी चमरौहा 2. लवलेश पुत्र बृजलाल निवासी हनुमानगंज 3. बैजनाथ पुत्र भैयालाल निवासी हनुमानगंज 4. गुलाब पुत्र देवनाथ निवासी खोर 5. छोटेलाल पुत्र महाराजवा निवासी रैपुरा 6. बलराम पुत्र रामकिशोर 7. रामलाल पुत्र चौबे प्रसाद निवासीगण करौंदी कला 8. सादिक पुत्र शुक्ला अली निवासी लोखरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(च). प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी द्वारा अभियुक्त 1. अतुल उर्फ बाबा तिवारी पुत्र चंद्रकेश 2. सिद्धू उर्फ राघवेंद्र पुत्र हरिओम निवासीगण छिवलाहा 3. देवसहाय पुत्र शिवभवन 4. मेवालाल पुत्र शिवभवन 5. गोरेलाल पुत्र देशराज निवासीगण चंदई 6. आशुतोष पुत्र राजेश निवासी टिकरा 7. छोटे लाल उर्फ अनिल पुत्र हरिश्चंद्र 8. केशन पुत्र सुकरू 9. अमर पुत्र बैजनाथ निवासीगण बरियारी कला 10. अरविंद उर्फ कल्लू पुत्र रमाशंकर 11. अतुल पुत्र हरीशचंद्र निवासीगण पूरब पताई थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(छ). प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री रवि प्रकाश द्वारा अभियुक्त 1. शिवप्रसाद पुत्र सदलू 2. सूरज 3. मोहित पुत्रगण शिवप्रसाद निवासीगण बरगढ़ 4. अतुल पुत्र छबिनंदन 5. रामप्रिय पुत्र गोपीनाथ द्विवेदी 6. प्रमोद पुत्र जगनंदन निवासीगण डडियामाफी 7. अंशु पुत्र जियालाल 8. जुल्लू पुत्र अभिलाष निवासीगण लपांव थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(4), त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री जयशंकर सिंह के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 30 क्वार्टर देशी शराब बरामद की।

(ख). 30नि0 श्री अर्पित पाण्डेय थाना उनके हमराही आरक्षी अखिलेश कुमार द्वारा अभियुक्त गुलाबचन्द्र उर्फ बबली पुत्र भोला प्रसाद निवासी बकटाखुर्द थाना राजापुर चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री राजेश चौरसिया तथा उनके हमराही आरक्षी राहुल पाण्डेय द्वारा अभियुक्त सुनील द्विवेदी पुत्र रामबिशाल निवासी कुसेली थाना राजापुर चित्रकूट को 10 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया ।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 07 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया ।

(1). वरि0उ0नि0 श्री शिकुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा 1. मु0सं0 81/16 धारा 411/413/420/467/468/471 आईपीसी एवं 15 DAA act थाना कर्वी के वारंटी अभियुक्त शिवपूजन यादव पुत्र बहादुर निवासी कस्बा व थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2. मु0सं0 95/14 धारा 324/323/504/506 आईपीसी के वारंटी अभियुक्त छुटवा पुत्र भुंडा निवासी इटवां थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 3. मु0सं0 195 /14 धारा 324, 323 504 506 भादवी के वारंटी अभियुक्त अमरनाथ पुत्र दसुआ उर्फ दसू निवासी इटावा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 4. मु0सं0 150/19 धारा 325/323/504/506 आईपीसी के वारंटी अभियुक्त रज्जू पुत्र बुधई निवासी देउंधा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 5. बाद संख्या 172/19 धारा 125 सीआरपीसी के वारंटी कमलेश पुत्र पंचा निवासी करौंदी कला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. वरि0उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना रैपुरा
2. उ0नि0 शिव पूजन यादव
3. उ0नि0 हरेन्द्र नाथ सिंह
4. आरक्षी कृष्ण मुरारी पटेल

(2). उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 19/14 धारा 504/506 भादवि0 व 3(1)5 एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त लल्ला पुत्र छुन्ना निवासी बगरेही थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना रैपुरा
2. उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी
3. आरक्षी ललित कुशवाहा

(3). उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 246/19 धारा 323/354ख/427/504/506 भादवि0 व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त हरिश्चन्द्र पुत्र छंगू निवासी पुरवा तरौहा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी आकाश

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 11.04.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में सब्जी मण्डी, रामलीला मैदान, आनन्दी माता मंदिर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा खटवारा, गइला रोड व कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा भैरोपागा रोड, चुंगी चौराहा, संतोषी माता मंदिर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम बसिनिहा, देवरिया सहगढ़ में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम ग्राम गजाधर का पुरवा व मनगवां में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एण्टी

रोमियों टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व 30प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(7). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, क्षेत्राधिकारी मऊ व क्षेत्राधिकारी नगर/राजापुर के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों ने पुलिस टीम के साथ अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गस्त/रूट मार्च एवं जनचौपाल कर ग्रामीणों से जनसंवाद कर निर्भीक एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की गयी कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें, अवैध शराब का सेवन बिल्कुल न करें एवं अवैध कार्य करने वालों की सूचना पुलिस को दे।

(8). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनांक-10.04.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा द्वारा ग्राम कौबरा एवं ग्राम गौरिया में सभी प्रधान पद के प्रत्याशी, बीडीसी पद के प्रत्याशी एवं डीडीसी पद के प्रत्याशियों के साथ बैठक की गयी। प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा द्वारा सभी प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करने हेतु बताते हुए मतदाताओं को किसी प्रकार का लोभ-प्रलोभन न देने, शराब, रुपया आदि का वितरण न करने के बारे में हिदायत दी गयी। बिना किसी भेदभाव एवं पक्षपात के वोट डालने एवं पूर्णतः कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए मतदान संपन्न कराने हेतु पुलिस का सहयोग करने की अपील की गयी। देशी शराब की दुकान में स्टॉक एवं शराब की चेकिंग तथा शराब के ठेके के आसपास की चेकिंग की गयी। ग्राम के प्रमुख-प्रमुख स्थानों पर चुनाव सम्बन्धी जागरूकता ऑडियो बजाया गया तथा जनता को चुनाव के प्रति जागरूक किया गया।

(9). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री शैलेन्द्र कुमार राय अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी मानिकपुर, प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा के साथ थाना रैपुरा पुलिस एवं पीएसी बल द्वारा ग्राम भौरी एवं देवकली में तथा श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ के नेतृत्व में चौकी सरैया पुलिस एवं पीएसी बल द्वारा चौकी सरैया अन्तर्गत ग्राम मुस्लिम पुरवा, पतेरिया एवं सरैया में एरिया डोमिनेशन व फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान महोदय द्वारा जनता से निर्भीक होकर बिना किसी के दबाव के स्वतंत्र रूप से मतदान करने हेतु बताया किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों की सूचना पुलिस को अवश्य दे। अवैध शराब का सेवन न करने की अपील की तथा आचार संहिता का पालन करने हेतु बताया। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत महोदय द्वारा मास्क का प्रयोग करने, सेनेटाइजर का प्रयोग कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की।